

फोन - (0551) 2210363
फैक्स - (0551) 2201507

Ann-6

एक नमूना पत्र को भेजे जाने वाले
किसी पत्र में पूरी पत्र व्यवहार की
प्रकृति, दिनांक तथा उद्देश्य विभाग का
नाम ज्ञात किया जाय।

कुलसचिव,
श्रीमदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : 526 /UP-43311/2005

दिनांक : 10.09.2005

रोवा में,

प्रबन्धक,

स्वर्णि प्रभात महिला महाविद्यालय
आनन्द नगर, बिन्ता,
गोरखपुर जिला

विषय : प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 10/09/2005 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संसृति के आधार पर निर्वाचित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1	डॉ० चमन कुमार	डी० एड०
2	डॉ० हरि प्रकाश शर्मा	डी० एड०
3	श्री कमरुद्दीन	डी० एड०
4	डॉ० राम चन्द्र सिंह	डी० एड०
5	डॉ० रविन्द्र नाथ तिवारी	डी० एड० (अध्यक्ष)
6	डॉ० त्रियुगी नारायण	डी० एड०

- महाविद्यालय में श्री निर्युक्त शारनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये शर्तों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- शारनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : 1. शारनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. शारनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव